डॉ. आंबेडकर जी के स्त्रियों के उन्नति विषयक विचार और कार्य

हणमंत परगोंडा कांबळे शोध छात्र शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर मो. नं. 9579728080

सार:

भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकरजी ने महिलाओं के उन्नति के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया वह भारतीय समाज में क्रांतिकारी कार्य हैं। ने समाज में स्त्रियों की उन्नति को न केवल संविधानिक अधिकारों से जोड़ा, बल्कि उनकी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वातंत्र्य को महत्वपूर्ण समझ हैं। उनका यह है की मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ की वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की हैं। बीसवीं शताब्दी में बाबासाहब वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राम्हणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती डी थी लेकिन विडंबना देखिए इतना सब कुछ करने बाद भी बाबासाहब नारीवाद का चेहरा नहीं बन पाए। लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता उर संविधान निर्माता तक सीमित कर दिया, जबकि महिलाओं के भलाई के लिए उनके जितना काम शायद ही किसी भारतीय नेता ने किए हो। उनकी आधुनिक सोच और दूरदर्शिता का अंदाज हम इस बात से भी लगा सकते हैं जब भारतीय समाज इन महिलाओं को चार दीवारों के अंदर कैदी की तरह कैद किए थे तब उन्होंने कामकाजी महिलाएँ के लिए कुछ ऐसे सुविधाएँ की जिससे आज महिलाएँ अपना काम और अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं। आंबेडकरजी के लिए समाज में महिलाओं को समान अधिकार, समान रोजगार, समान पारिश्रमिक, समान अवसर, समान न्याय देना महत्वपूर्ण हैं। ताकि महिला समाज मैं अपना स्थान बनाए और एक सम्मानित जीवन जी सके।

बीज शब्द:

समानता, शिक्षा, वैवाहिक अधिकार, आर्थिक स्वतंत्रता, संविधान, स्त्री शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, अधिकार, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना

प्राचीन कल से भारतीय समाज व्यवस्था पितृसत्तात्मक हैं। इसलिए हमारे समाज में पुरुष को उच्च माना जाता हैं और स्त्रियों का हीन दर्जा दिया जाता है। इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए अनेक संतों ने और समाज सुधारकों ने प्रयास किए। हिंदी साहित्य में हमें देखने को मिलता हैं की भक्तिकाल में अनेक संतों ने इस समाज व्यवस्था के प्रति समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। लेकिन ज्यादा तर समाज सुधारक आधुनिक कल मैं देखने को मिलता है। राजा राममोहन रॉय, ज्योतिबा फुले, महर्षि कर्वे, ताराबाई शिंदे जैसे अनेक लोगों ने प्रयास किए उन्हीं में एक और प्रमुख नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर जी का आता हैं। डॉ. भीमराव आंबेडकरजी भारतीय संविधान के मुख्य निर्माण कर्ता हैं। डॉ. आंबेडकर सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने न केवल दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्त्रियों के अधिकारों और उनके उन्नति के लिए भी अनेक कार्य किए। डॉ. आंबेडकरजी के विचार हमेशा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय पर आधारित थे। डॉ. आंबेडकरजी का मानना था की "समाज सेवा राजनीति से कई अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समाज सेवा से व्यक्ति का चरित्र बनाता हैं।[1]

डॉ. आंबेडकरजी का स्त्रियों के उन्नति विषयक विचार:

- **शिक्षा और कौशल विकास:**

डॉ. आंबेडकर ने स्त्रियों की शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उनका यह मानना था की अगर स्त्रियों को उन्नति करनी है तो उन्हें पहले शिक्षित होना होगा तभी आगे जाकर स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सशक्त बनेगी। इसी संबंध में उनका एक कथन है की 'शिक्षा शेरनी का दूध है जो इसे पीएगा वो दहाड़ेगा'। हमेशा से उनकी कोशिश रही है कि शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को विशेष अवसर मिले।

डॉ. आंबेडकरजी ने शिक्षा को आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने सुझाव दिया कि महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकें या अपने व्यवसाय शुरू कर सकें। शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण: उनके अनुसार, शिक्षित महिलाएँ अपने आर्थिक मामलों का बेहतर नियोजन कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।

- **समानता का अधिकार:**

डॉ. आंबेडकर का मानना था कि समाज के हर व्यक्ति को समाज में समान अधिकार मिले, खास करके स्त्रियाँ एस हक्क से वंचित न रहें। "उन्होंने भारतीय संविधान में समानता का नर ही नहीं दिया अपितु अवसर के समाता के साथ परिस्थिति की समता भी प्राप्त की।"[2] उनका मानना की अगर समाज में संतुलन लाना हैं तो समाज के हर स्त्री को पुरुषों के समान अधिकार मिले। इसलिए आगे जाकर उन्होंने भारतीय संविधान में स्त्रियों के समान अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करने वाले कई प्रावधान हैं। उनके यह प्रावधान सिर्फ कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते उसी के साथ सामाजिक समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

- **आर्थिक स्वतंत्रता:**

डॉ. आंबेडकर ने शिक्षा के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता को भी स्त्रियों के प्रगति के लिए आवश्यक माना हैं। उनके विचार मैं यह था की अगर स्त्रियाँ स्वयं रोजगार उत्पन्न करें और स्वावलंबी बने। डॉ. आंबेडकरजी ने स्त्रियों को स्वयं रोजगार के संदर्भ में प्रोत्साहित करने का किया। वे उन्हें आर्थिक रूप सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे।

- **वैवाहिक अधिकार:**

डॉ. आंबेडकरजी की उच्च शिक्षा ज्यादातर विदेश में हुआ था। उन्होंने वहाँ की समाज व्यवस्था, विवाह संस्था, रहन सहन को नजदीक से देखा था। इसलिए आंबेडकरजी ने विदेश की समाज व्यवस्था, विवाह संस्था, रहन सहन की तुलना की तो उन्हें कुछ बातें खटकी। उसमें से एक था भारतीय विवाह साथ। उन्होंने विवाह संस्था में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और इसके लिए भारतीय संविधान में कानून बनाने की दिशा में प्रयास किए। उनका यह हमेशा से मानना था कि स्त्रियों को अपने जीवन साथी खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। डॉ. बाबा साहब आंबेडकरजी का यह विचार था की महिलाओं को अपना जीवन साथी के चयन करने का अधिकार होना चाहिए। यह विचार पारंपरिक विवाहित व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जहाँ अक्सर परिवार या समाज के दबाव में विवाह तय किए जाते थे, अगर लड़का लड़की खुद अपना जीवन साथी चुनेंगे तो वे खुश रह सकेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: इस अधिनियम में महिलाओं को अपने पसंद के जीवन साथी का चयन करने का अधिकार मिला, जो उनके लिए स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

- **आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व स्वरोजगार का प्रोत्साहन:**

आंबेडकर ने महिलाओं को स्वरोजगार और विभिन्न आर्थिक गतिविधि यों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह समझा कि जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, तो वे अपने अधिकारों के प्रति अधि क जागरूक और सशक्त होंगी। व्यवसाय में भागीदारी: आंबेडकर ने महिलाओं को व्यवसायों में भाग लेने और अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके विचार से, महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना समाज में समानता और न्याय के लिए आवश्यक था।

- **सामाजिक और कानूनी सुधार:**

डॉ. आंबेडकर ने आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने संपत्ति के अधिकार, विवाह में संपत्ति का बंटवारा और तलाक के बाद भरण-पोषण के अधिकारों पर जोर दिया। महिला श्रम अधिकार: उन्होंने महिलाओं के श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने का समर्थन किया, जिससे वे अपने काम करने के स्थानों पर अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें।

- **विधवा पुनर्विवाह का समर्थन समाज में बदलाव:**

डॉ. आंबेडकर ने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, जो महिलाओं को समाज में एक स्तर हीन स्थिति में रखती थी। उनका मानना था कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856: आंबेडकर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विधवाएँ अपने जीवन में पुनर्विवाह कर सकें।

डॉ. आंबेडकरजी का स्त्रियों के उन्नति विषयक कार्य:

डॉ. भीमराव आंबेडकर जी ने संविधान में स्त्रियों के अधिकारों को विशेष रूप से महत्व दिया हैं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उनके अनुसार अगर समाज का विकास करना हैं तो स्त्रियों को समान अधिकार मिले तभी वह संभव हैं। डॉ. आंबेडकरजी ने संविधान में अनेक प्रावधान किए जिनसे स्त्रियों को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास के लिए सहायक हैं। डॉ. आंबेडकर जी ने स्त्रियों को सरकारी नौकरियों मैं और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर मिलना सुनिश्चित किया। इस में समान अवसर का अधिकार, भेदभाव का निषेद, आरक्षण का प्रावधान किए। महिलाओं को किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता हैं, जैसे की मानव तस्करी और जबरन श्रम के खिलाफ सुरक्षा। वेतन और कार्य की समानता: महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और कार्य का प्रावधान हैं। इसमें कोई भेदभाव न करने की आदेश हैं।

हिंदू विवाह अधिनियम:

डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी ने 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम ने विवाह के क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकारों को मान्यता दी और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की।

- विवाह की वैधता:

अधिनियम के अनुसार, हिंदू विवाह केवल तभी वैध माना जाएगा जब वह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच हो और दोनों पक्षों की सहमति हो।

- विवाह की उम्र:

अधिनियम में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। पुरुष के लिए 21 वर्ष स्त्री के लिए 18 वर्ष।

- "विधवा पुनर्विवाह:

इस अधिनियम ने विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी, जो पहले सामाजिक दृष्टि से अस्वीकृत था।"[3]

- न्यायिक अधिकार:

हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक और विवाह के अंत की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। यह विवाह के विभिन्न पहलुओं कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

- पारिवारिक अधिकार:

अधिनियम में विवाह के बाद स्त्री के अधिकारों को मान्यता दी गई है, जिसमें संपत्ति के अधिकार और भरण-पोषण का अधिकार शामिल है।

- तलाक का प्रावधान: अधिनियम में तलाक के लिए विभिन्न आधारों का उल्लेख किया गया है, जैसे: व्यभिचार, क्रूरता, मानसिक बीमारी, अनुपस्थिति।
- संशोधन:

समय-समय पर अधिनियम में संशोधन किए गए हैं, जैसे 1976 में किए गए संशोधनों में तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

महत्वपूर्ण प्रावधान

धारा 5: विवाह की वैधता और उसके नियम।

धारा 7: विवाह समारोह की विधि ।

धारा 13: तलाक के आधार और प्रक्रिया।

धारा 21: दहेज और उसके खिलाफ प्रावधान।

- अनुच्छेद 14: समानता का अधिकार: अनुच्छेद 14 सभी व्यक्ति यों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत, राज्य कि सी भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता, और यह स्त्रियों को समानता की सुनिश्चितता देता है।
- अनुच्छेद 15: भेदभाव का निषेध: अनुच्छेद 15(1) के तहत, राज्य कि सी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15(3) विशेष रूप से कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जिससे उनकी सुरक्षा और विकास सुनिश्चित हो सके।
- अनुच्छेद 16: रोजगार का अधिकार: अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करता है। यह स्त्रियों के लिए सरकारी रोजगार में भेदभाव को समाप्त करने में सहायक है।
- "अनुच्छेद 39(a): पर्याप्त जीवन निर्वाह का अधिकार अनुच्छेद 39(a) यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता हो। यह स्त्रियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और जीवन स्तर सुधारने में मदद करता है।"[4]
- अनुच्छेद 42: कार्य की स्थिति में सुधार: अनुच्छेद 42 महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य की स्थिति यों में सुधार करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। यह मातृत्व लाभ और सुरक्षित कार्य परिवेश की मांग करता है।
- अनुच्छेद 51(a)(e): स्त्रियों के प्रति सम्मान अनुच्छेद 51(a)(e) नागरिकों को स्त्रियों के प्रति सम्मान देने की जिम्मेदारी देता है, जिससे समाज में स्त्रियों की स्थिति को मजबूती मिलती है।
- विशेष कानून संविधान के तहत कई विशेष कानून भी बनाए गए हैं, जैसे:

महिलाओं के खिलाफ हिंसा (प्रतिबंध) अधिनियम, 2006

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: इस अधिनियम ने स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया।

स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास:

बाबासाहब ने शिक्षा के दम पर अपने कई बच्चों का भविष्य सुधार था इसलिए बाबासाहब शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ वे महिलाओं की शिक्षा को बहुत जरूरी मानते थे। उनके अनुसार माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बाप बच्चों के जीवन को अच्छा रास्ता दे सकते हैं। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम सभी लोग लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। डॉ. बाबासाहब आंबेडकरजी जी का यह कथन आज सच साबित हुआ हैं भारत की स्त्रियाँ आज अंतरिक्ष तक पहुँच गई हैं। डॉ. आंबेडकर ने कई संगठनों की स्थापना की, जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने विशेष रूप से दलित और पिछड़ेवर्गों की स्त्रियों की शिक्षा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई।

सामाजिक जागरूकता:

उन्होंने विभिन्न मंचों पर स्त्रियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। उनके लेख और भाषण स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक रहे। आंबेडकर ने समाज सुधार आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दहेज प्रथा, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीति यों के खिलाफ आवाज उठाई। जन जागरूकता कार्यक्रम: उन्होंने सामाजिक जागरूकता के कार्यक्रमों में भाग लिया, जहाँ उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए समाज को जागरूक करने का कार्य किया।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने महिलाओं के उन्नति के लिए जो विचार और कार्य किए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। डॉ. आंबेडकरजी का दृष्टिकोण समाज में बदलाव लाने और स्त्रियों को उनके अधिकार देने के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहा है। उनकी कथनी और करनी मैं कभी बदलाव नहीं दिखाई दिया। उनकी कार्यों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के स्त्रियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई हैं। वर्तमान में हम बाबासाहब के सिद्धांतों को आत्मसात करके एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार, डॉ. आंबेडकरजी का योगदान केवल कानूनों तक सीमित न रहकर पूरे भारतीय के लिए एक नई सोच और दिशा देने का काम किया हैं। जिससे महिलाओं को उनके अधिकार और समाज में उनके स्थिति की पहचान हो सके।

संदर्भ

1. सर्वेश 2007, आंबेडकर के विचार, समता साहित्य सदन नई दिल्ली, पृ. क्र. 21
2.कुमार डॉ. विवेक, प्रजातंत्र में जाती आरक्षण एवं दलित, सम्यक प्रकाशन पृ. क्र. 132
3. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: इसमें स्त्रियों के अधिकारों और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है।
4. भारतीय संविधान: अनुच्छेद 39(a), जो आर्थिक न्याय और समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है।